

**भारत सरकार**  
**जल शक्ति मंत्रालय**  
**जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 3209**  
**दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ**

.....  
**नमामि गंगे कार्यक्रम**

**3209. श्री दिनेश चंद्र यादव:**

**श्री गिरिधारी यादव:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नमामि गंगे कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) उक्त कार्यक्रम कब आरम्भ किया गया था और इसके अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;
- (ग) उक्त कार्यक्रम के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ने के क्या कारण हैं; और
- (घ) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**जल शक्ति राज्य मंत्री**

**(श्री राज भूषण चौधरी)**

**(क) से (ग):** भारत सरकार ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए वर्ष 2014-15 में नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) शुरू किया था, जो पांच वर्ष के लिए मार्च 2021 तक था और अब इसे मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। जून 2025 तक 41,696 करोड़ रुपए की लागत से कुल 502 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 323 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। इनमें से अधिकांश परियोजनाएँ, सीवेज अवसंरचना के निर्माण से संबंधित हैं, क्योंकि अनुपचारित घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट जल, नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण है। कुल 212 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनमें 34,526 करोड़ रुपए की लागत से 6,540 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) क्षमता के निर्माण और पुनर्वास करना शामिल है। 136 सीवरेज परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 3,781 एमएलडी एसटीपी क्षमता का सृजन और पुनर्वास हुआ है।

अवसंरचना और सीवरेज परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान कुछ परियोजनाओं में निम्नलिखित कारणों से देरी हो रही है:

- i. नए सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान
- ii. सीवेज से संबंधित नेटवर्क के लिए मार्गांकित जैसी वैधानिक मंजूरी जारी करना, सड़क बनाने के लिए अनुमति प्राप्त करना, वन और राजस्व विभाग जैसे सक्षम प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना;

इन चुनौतियों का समाधान करने और उनसे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) परियोजनाओं की स्थिति की बारीकी से निगरानी करने के लिए सक्रिय रूप से शामिल रहा है। एनएमसीजी

प्रगति का मूल्यांकन करने, संभावित बाधाओं की पहचान करने और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से विस्तृत परियोजना समीक्षा बैठकें, केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) की बैठकें और अधिकार प्रात्रत कार्य दल की बैठकें आयोजित करता है।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, 502 स्वीकृत परियोजनाओं में से 323 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जो नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्वीकृत कुल परियोजनाओं का लगभग 64% है।

सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, गंगा नदी पर प्राथमिकता वाले नदी खंड (पीआरएस) निम्नानुसार हैं:

- क. उत्तराखण्ड प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं आता (बीओडी  $< 3$  मिग्रा/ली);
- ख. उत्तर प्रदेश में, फरुखाबाद से इलाहाबाद और मिर्जापुर से गाजीपुर तक के क्षेत्र प्राथमिकता श्रेणी V (बीओडी 3-6 मिग्रा/ली) के अंतर्गत आते हैं;
- ग. बिहार में, बक्सर, पटना, फतवा और भागलपुर से लगे क्षेत्र प्राथमिकता श्रेणी IV (बीओडी 6-10 मिग्रा/ली) के अंतर्गत आते हैं;
- घ. झारखण्ड प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं आता (बीओडी  $< 3$  मिग्रा/ली);
- ड. पश्चिम बंगाल में, बेहरामपुर से हल्दिया तक का क्षेत्र प्राथमिकता श्रेणी IV (बीओडी 6-10 मिग्रा/ली) के अंतर्गत आता है।

इसके अलावा, घुलित ऑक्सीजन (डीओ) का मान, जो नदी की स्थिति का एक संकेतक है, अधिसूचित प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानदंडों की अनुमेय सीमा के भीतर पाया गया है और गंगा नदी के लगभग पूरे हिस्से में नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के समर्थन के लिए संतोषजनक है।

वर्ष 2024-25 के दौरान गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे 50 स्थानों और यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे 26 स्थानों पर किए गए जैव-निगरानी के अनुसार, जैविक जल गुणवत्ता (बीडब्ल्यूक्यू) मुख्यतः 'अच्छी' से 'मध्यम' के बीच रही। विविध बोनिथिक मैक्रो-इनवर्टरेट प्रजातियों की उपस्थिति जलीय जीवन को बनाए रखने के लिए नदियों की पारिस्थितिक क्षमता को दर्शाती है।

इसके अलावा, पिछले एक दशक में गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 में अनुमानित बेसलाइन 2,500-3,000 डॉल्फिन से, वर्ष 2015 में यह संख्या लगभग 3,500 हो गई और वर्ष 2021-2023 के दौरान किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार, यह संख्या और बढ़कर लगभग 6,327 हो गई। यह वर्ष 2009 से दोगुने से भी अधिक की वृद्धि दर्शाता है। गंगा बेसिन में, 17 सहायक नदियों में वर्ष 2021-2023 के मूल्यांकन ने कई नदियों में डॉल्फिन की उपस्थिति की पुष्टि की, जहाँ पहले उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, जैसे रूपनारायण, गिरवा, कौरियाला, बाबई, राप्ती, बागमती, महानंदा, केन, बेतवा और सिंध।

(घ): नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2014-15 से 30 जून 2025 तक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए परियोजनाओं/कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न एजेंसियों को 19,679.84 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।